

कार्य का नाम :- जनपद देहरादून में राज्य योजना वर्ष 2011-2012 के अन्तर्गत विधानसभा विकासनगर के ग्राम हरीपूर से मुख्य मार्ग जू0हा0ई0 स्कूल की ओर सड़क का निर्माण।

(लम्बाई- 0.435 किमी0)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम- हरीपूर

तहसील- कालसी जिला देहरादून

जनपद देहरादून में राज्य योजना वर्ष 2011-2012 के अन्तर्गत विधानसभा विकासनगर के ग्राम हरीपूर से मुख्य मार्ग जू0हा0ई0 स्कूल की ओर सड़क के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। मोटर मार्ग के नवनिर्माण परियोजना के निर्माण हेतु आरक्षित वनभूमि 0.1134 है0, सिविल सोयम भूमि 0.00 है0, वन पंचायत भूमि 0.00 है0 अर्थात् कुल वन भूमि 0.1134 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत हरीपूर द्वारा दिनांक 22/02/2024 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम हरीपूर के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो0नि0वि0/प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम सचिव, हरीपूर
वि0अ0-कालसी, जिला-देहरादून
22/02/2024

ग्राम प्रधान



प्रपत्र 23.1

दिनांक 22/02/2021 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत हरिपुर

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	अतर सिंह	अतर सिंह
2	रतीराम	रतीराम
3	रघुवीर	रघुवीर
4	प्रताप सिंह	प्रताप सिंह
5	गंगा सिंह	गंगा सिंह
6	सिधाराम	सिधाराम
7	नारायण सिंह	नारायण सिंह
8	केदार सिंह	केदार सिंह
9	चमन सिंह	चमन सिंह
10	सन्तराम	सन्तराम
11	सुन्नाम	सुन्नाम
12	बीर सिंह	बीर सिंह
13	नागचन्द्र	नागचन्द्र
14	मुकेश	मुकेश
15	कुन्दन	कुन्दन
16	इन्दर सिंह	इन्दर सिंह
17	नमजन सिंह	नमजन सिंह
18	लामकराम	लामकराम
19	जगत सिंह	जगत सिंह
20	शान्ति सिंह	शान्ति सिंह


 प्रधान ग्राम पंचायत, हरिपुर
 वि०ख०-कालसी, बहराइन

जनपद देहरादून में राज्य योजना वर्ष 2011-2012 के अन्तर्गत विधानसभा विकासनगर के ग्राम हरीपूर से मुख्य मार्ग जू0हा0ई0 स्कूल की ओर सडक का निर्माण।

(लम्बाई- 0.435 किमी0)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, - कालसी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम-2006 के तहत प्रमाण पत्र।

उपखण्ड स्तरीय समिति, कालसी

उपखण्ड कालसी परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद देहरादून में राज्य योजना वर्ष 2011-2012 के अन्तर्गत विधानसभा विकासनगर के ग्राम हरीपूर से मुख्य मार्ग जू0हा0ई0 स्कूल की ओर सडक के निर्माण हेतु (आरक्षित वनभूमि 0.1134 है0, सिविल सोयम भूमि 0.00 है0, वन पंचायत भूमि 0.00 है0) अर्थात् कुल 0.1134 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों का मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील-कालसी) की दिनांक 26/01/2021 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (व अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|------------|
| 1 | श्री संगीत कौशिक | उपजिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2 | श्री केलादा चन्द्र पाण्डे | उप प्रभागीय वनाधिकारी | सदस्य |
| 3 | श्री सुदीप नेगी | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | सदस्य/सचिव |
| 4 | श्री प्रदीप किरण डेवा | बी0डी0सी0 क्षेत्र | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों की बैठक में उपस्थित सदस्यों की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद देहरादून में राज्य योजना वर्ष 2011-2012 के अन्तर्गत विधानसभा विकासनगर के ग्राम हरीपूर से मुख्य मार्ग जू0हा0ई0 स्कूल की ओर सडक के नवनिर्माण कार्य परियोजना हेतु 0.1134 है0 वन भूमि (0.1134 आरक्षित वन भूमि, 0.00 है0 सिविल सोयम भूमि एवं 0.00 है0 वन पंचायत भूमि) लोक निर्माण विभाग, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम

सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कालसी परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद देहरादून में राज्य योजना वर्ष 2011-2012 के अन्तर्गत विधानसभा विकासनगर के ग्राम हरीपूर से मुख्य मार्ग जू0हा0ई0 स्कूल की ओर सड़क के नवनिर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 0.1134 है0 वन भूमि (0.1134 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 है0 सिविल सोयम भूमि एवं 0.00 है0 वन पंचायत भूमि) लोक निर्माण विभाग, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी है।


उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील—कालसी
जनपद—देहरादून
कालसी

प्रतिलिपि:— जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील—कालसी,
जनपद—देहरादून
कालसी

प्रपत्र-23.3

जनपद देहरादून में राज्य योजना वर्ष 2011-2012 के अन्तर्गत विधानसभा विकासनगर के ग्राम हरीपूर से मुख्य मार्ग जू0हा0ई0 स्कूल की ओर सड़क का निर्माण।

(लम्बाई- 0.435 किमी0)

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून में राज्य योजना वर्ष 2011-2012 के अन्तर्गत विधानसभा विकासनगर के ग्राम हरीपूर से मुख्य मार्ग जू0हा0ई0 स्कूल की ओर सड़क मार्ग के नवनिर्माण हेतु 0.1134 है0 वनभूमि लोक निर्माण विभाग, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति, तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापित्त प्रमाण पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिनियम-2006 के तहत संलग्नक प्रमाण पत्रों के अनुसार प्रयोजना के निर्माण किसी अनुसूचित, जनजाति/वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहें हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

ह0.....

जिलाधिकारी, देहरादून

कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून
जनपद देहरादून

पत्रांक:-

दिनांक:-

वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जनजातिय व्यक्ति एवं पारम्परिक वन
निवासी हेतु गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 19.03.2021 को जिलाधिकारी, देहरादून की अध्यक्षता में वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति में जनपद देहरादून में राज्य योजना वर्ष 2011-2012 के अन्तर्गत विधानसभा विकासनगर के ग्राम हरीपूर से मुख्य मार्ग जू0हा0ई0 स्कूल की ओर सड़क के नव निर्माण का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया। जिस हेतु 0.1134 हैक्टेयर भूमि वन विभाग से लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु गैर वानिक कार्य हेतु सम्बन्धित ग्रामसभा/ग्राम पंचायत एवं उपखण्ड समिति-कालसी द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों से सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर प्रश्नगत प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है। जिसमें समिति के समस्त सदस्यों द्वारा उक्त भूमि की अनापत्ति एवं संस्तुति पर विचार विमर्श किया गया तथा उपजिलाधिकारी-कालसी की संस्तुति के आधार पर निर्णय लिया गया कि उक्त 0.1134 हैक्टेयर भूमि जो कि वन विभाग के रीवर रेंज के अन्तर्गत आती है पर अनापत्ति देने हेतु संस्तुति की जाती है।

उपजिलाधिकारी- चकराता की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न हैं।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
देहरादून

प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
देहरादून

जिलाधिकारी, देहरादून
देहरादून।

पृ0स0 / डी0एल0आर0सी0 / दिनांक
प्रतिलिपि:-

- 1 अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सहिया
- 2

जिलाधिकारी, देहरादून

FORM-I
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector

No.....

Dated...19.03.2021

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and Forest (MoEF), government of India's letter No. 11-9/98-FC(pl) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and Other traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects it certified that **0.1134** hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Public Work Department Uttarakhand for New Road Construction in Dehradun** district falls within jurisdiction of **Junior high school at Haripur Village in Kalsi Tehsil.**

It is further certificated that:

- (a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire **0.1134** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee(s). Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure
- (b) The Division of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.



Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी
देहरादून।

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT – DEHRADUN (UTTARAKHAND)

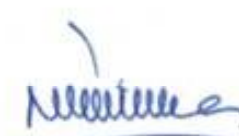
Proceeding of the meeting of the District level Committee constituted under Schedule Tribes &
Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) ACT (FRA), 2006.

A meeting of the District level Committee of Dehradun District – Dehradun constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mrs. ^{Nitika Khandelwal,} Ashish Kumar Srivastava, I.A.S. District Magistrate on Dated 19.03.21 at 11 AM at Dehradun in which the application claiming rights in Mail area measuring 0.1134 Hect for the Construction of Road for Junior High School in Haripur village under State Plan of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub Division level Committee of Kalsi were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After Scrutiny of the documents and detailed discussion, no objection/ claims were found to have been made & hence District level Committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Dehradun

Dated: 19.03.2021


District Magistrate
District level Committee

(प्रपत्र-30)

कार्य का नाम :- जनपद देहरादून में राज्य योजना वर्ष 2011-2012 के अन्तर्गत विधानसभा विकासनगर के ग्राम हरीपूर से मुख्य मार्ग जू0हा0ई0 स्कूल की ओर सड़क का निर्माण।

(लम्बाई- 0.435 किमी0)

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद देहरादून में राज्य योजना वर्ष 2011-2012 के अन्तर्गत विधानसभा विकासनगर के ग्राम हरीपूर से मुख्य मार्ग जू0हा0ई0 स्कूल की ओर सड़क के निर्माण हेतु कुल 0.1134 है0 वन भूमि प्रस्तावित है। जिसमें आरक्षित वन भूमि 0.1134 है0, वन पंचायत भूमि 0.00 है0 एवं सिविल भूमि 0.00 है0 प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 11-9/98-एफ0सी0 दिनांक 05/02/2006 के द्वारा सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, आं0एफ0सी0 केबिल, पाईप लाईन बिछाने आदि प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। भारत सरकार के उक्त उक्त आदेश के क्रम में प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित भूमि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Groups) प्रभावित नहीं हो रही है।

अधिसासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0,

सहिया
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
सहिया, देहरादून

जिलाधिकारी
देहरादून

उप जिलाधिकारी
तहसील - कालसी

जिलाधिकारी
देहरादून